अनिल कुमार सक्सेना

जल संरक्षण

हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है और विश्व की जनसंख्या का 18% भाग यहाँ निवास करता है। संसाधनों के मामले में हम आज भी विकासशील हैं। इतनी विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करना बहुत दुष्कर है। परिणामस्वरूप हमारे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। पेय जल का अभाव, ऊर्जा की कमी, कंक्रीट के जंगलों में परिणित होते हरे–भरे वन्य प्रदेश, भोज्य पदार्थों की कमी तथा उपलब्ध साधनों का समान वितरण न हो पाने के कारण अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारी कृषि भूमि बंजर बन रही है। मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत की 12 अरब टन मिट्टी बह कर नष्ट हो रही है। मिट्टी के 60% भाग का कटान, लवणता, खनिज (हानिकारक) और बढ़ती जनसख्या के कारण पेयजल की उपलब्धता संकट में है। बढ़ते औद्योगिकरण के दुष्परिणाम भी आज प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आदि के रूप में अपने जौहर दिखा रहे हैं। तूफान, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, भूकम्प आदि धन–जन का जो विनाश करते हैं ये सभी पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन का परिणाम है।

मौसम विभाग घोषणा करता है अतिवृष्टि की, पता चला मानसून राह में ही अटक गया और वर्षा हुई नहीं। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी न होकर बाद में होती है, अर्थात अनिश्चितता, इस सब परिवर्तन के लिए कोई और नहीं हम ही उत्तरदायी हैं। पर्यावरणविद अध्ययन कर, अनुसंधान के रूप में नित नूतन निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, परन्तु कभी सत्य तो कभी मिथ्या, उनके अनुमान, तथ्य निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। पर्यावरण अर्थात हमारे चहुँ ओर का आवरण हमारे कृत्यों के कारण हमारे लिए बिपदाजनक बन गया है। हमारी ओजोन परत जो हमारी रक्षक है स्वयं उस पर खतरा मंडरा रहा है।

पर्यावरण के सम्बन्ध में यूँ तो चिंता विश्वव्यापी है परन्तु आज हम अपने देश के संदर्भ में विचार करें तो स्थिति बहुत अधिक विस्फोटक दिखाई देती है। कारण हमारी निरंतर बढ़ती जनसंख्या व सीमित संसाधन हैं। आज जब हम दुनिया में जनसंख्या के दृष्टिकोण से बस चीन से पीछे हैं और अनुमान है कि 2050 तक हमारा देश विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से शीर्ष पर होगा। हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है और विश्व की जनसंख्या का 18% भाग यहाँ निवास करता है। संसाधनों के मामले में हम आज भी विकासशील हैं। इतनी विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करना बहुत दुष्कर है। परिणामस्वरूप हमारे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। पेय जल का अभाव, ऊर्जा की कमी, कंक्रीट के जंगलों में परिणित होते हरे-भरे वन्य प्रदेश, भोज्य पदार्थों की कमी तथा उपलब्ध साधनों का समान वितरण न हो पाने के कारण अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारी कृषि भूमि बंजर बन रही है। मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत की 12 अरब टन मिट्टी बह कर नष्ट हो रही है। मिट्टी के 60% भाग का कटान, लवणता, खनिज (हानिकारक) और बढ़ती जनसख्या के कारण पेयजल की उपलब्धता संकट में है। बढ़ते औद्योगिकरण के दुष्परिणाम भी आज प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आदि के रूप में अपने जौहर दिखा रहे हैं। तूफान, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, भूकम्प आदि धन-जन का जो विनाश करते हैं ये सभी पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन का परिणाम है।

जलवायु, मिट्टी सभी प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारी श्रवण शक्ति प्रभावित

हो रही है। श्वास लेने के लिए महानगरों में ऑक्सीजन चेम्बर्स की व्यवस्था विशिष्ट प्रभावित लोगों के लिए व्यापार का माध्यम बन रही है, पीने के पानी के लिए मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग घरों में जल शुद्धिकरण यंत्र का प्रबंध करने या मिनरल जल पीने को विवश है और निर्धन वर्ग वही प्रदूषित आर्सेनिक तथा अन्य विषैले पदार्थ मिश्रित जल पी-पी कर घातक रोगों की चपेट में है। गर्मी व प्रदूषण बढ़ाते वाहन अब कष्टदायक लगते हैं। आग उगलती चिमनियां श्वॉस लेना दूभर बना रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पवित्र जीवन दायिनी, मोक्षदायनी गंगा यमुना आज आचमन के व स्नान के योग्य नहीं रह गयी हैं। पर्यावरण के संतुलन के नियंताओं में प्रमुख ''हरित वन'' कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं, बहुमंजिली इमारतें, शॉपिंग मॉल्स उनका स्थान ले रहे हैं।

आग उगलती चिमनियों से हो रहा श्वॉस लेना दूभर।

पतितपावनी नदियाँ, सागर सभी को प्रदूषित हम कर रहे हैं। उद्योगों के कारण बड़े-छोटे सभी उद्योगों का विषैला उच्छिष्ट, सीवर पम्प, दाहसंस्कार के बाद शव भी यहीं बहाए जा रहे हैं।

जो जल हमारा जीवन है, जिस धरती के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, जो वायु हमारी प्राणदायिनी है, उसका अनुचित दोहन विनाश का दृश्य तैयार कर रहा है और हम हैं कि सो रहे हैं। जब विपदा अपने विनाशकारी स्वरूप में आती है तब जरा हमारी तन्द्रा भंग होती है और हम अपना दोष दूसरों पर डालकर स्वयं को निर्दोष मान लेते हैं।

ठोस और तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रणालियों को प्रचालित करना, सभी सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक कूड़ेदानों का इस्तेमाल तथा निर्माण जरूरी हो। 4041 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन का इंतजाम करना पहला मकसद होना चाहिये।

निदान-सार्वजनिक स्थान बाजार, पार्क, सड़क, मंदिर, मस्जिद या गुरूद्वारे हो या फिर नदी, तालाब या झीलों आदि जैसी जगहों पर कूड़ा कचरा ना करें और कूड़ेदान का ज्यादा उपयोग करें। जिससे गंदगी नहीं बढ़ेगी, प्रदूषण मुक्त पानी पीने को मिलेगा और सभी स्वस्थ रह पायेंगें। साथ ही दवाई के खर्च में कमी आयेगी।

उन्नत स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना, सुनिश्चित करना कि प्रदाता के पास इस स्तर पर सेवाओं की प्रदायगी की क्षमता तथा संसाधन हैं। हाथ से मैला ढोने की प्रथा से निजात न मिल पाने का कारण राज्यों द्वारा वर्ष 1933 और 2013 में इस प्रथा को समाप्त करने हेतु बनाये कानून को अभी तक लागू नहीं किया जाना है।

निदान- गंदगी के लिए अशिक्षा और नैतिक मूल्यों की कमी एक बड़ा कारण है। अतः बचपन से ही स्वच्छता के प्रति आदतें सिखाना अब जरूरी हो गया है। अभी देर नहीं हुई है, नई तालीम को नए सिरे से शुरू करना होगा। ऐसी शिक्षा जिसे करके सीखा जाए वही उपयोगी होती है। गांधी जी की स्वच्छता के लिए दी गई शिक्षा को अपने जीवन में ढालने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।

ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुभेद्य वर्गों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों में सहयोग को उद्दीपत करना और समर्थ बनाना। कारण विश्व स्टील के पेसीफिक इंस्ट्टीयूट के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या के बहुत बड़े प्रतिशत के पास स्थायी विकास के लक्ष्यों के लिए सुरक्षित स्वच्छता की पहुंच नहीं हो पाई है।

निदान-गंदे वातावरण में सांस लेने से भी सामान्य आदमी की कार्य क्षमता, क्रियाशीलता और एकाग्रता में निसंदेह कमी आती है, जिससे सभी सदैव थके हारे, बीमार और ऊर्जा से रहित दिखाई पड़ते हैं। यह जीवन शैली स्वयं हमारी व देश की प्रगति में विशेष रूप से बाधक होती है।

अब भी समय है, आवश्यकता है, हमारे स्वयं के चेतने की तथा सरकार के सजग होने की उचित नीति निर्माण की और उससे अधिक उन नीतियों के क्रियान्वयन की। प्रयास किये गये हैं यथा दिल्ली में मेट्रो का चलाया जाना, एल पी जी से वाहनों का संचालन आदि परन्तु भारत केवल दिल्ली में नहीं बसता और इतने कम प्रयास इतनी भीषण समस्या के समाधान के लिए ऊंट के मुख में जीरे के समान ही हैं। वनों को बचाने के लिए प्रयास सरकारी स्तर पर ही संभव हैं। नदियों में गिरने वाले दूषित पदार्थों को राकने की व्यवस्था सरकार ही कर सकती है। विशिष्ट कृषि उत्पादन पद्दतियों को अपनाकर उत्पादन की गुणवत्ता तथा मात्रा को बढ़ाया जाना जरूरी है। पॉलिथिन पर प्रतिबंध लगाया जाना अपरिहार्य बन चुका है।

सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को राकने के लिए सकारात्मक योजना बनाना तथा सभी पूर्वाग्रहों को त्याग कर, वोट की राजनीति को छोड़ कर उसको युद्ध स्तर पर लागू करना आवश्यक है। जब तक जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगेगी, संसाधन वृद्धि के सभी प्रयास अपर्याप्त ही सिद्ध होंगें।

नवीन भवनों के निर्माण के समय पेड़ लगाने की नीति को कठोरता से लागू किया जाना आवश्यक है। इन पेड़ों के संरक्षण का उत्तरदायित्व समझना भी आवश्यक है। कुछ शहरों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अपना घर बनाते समय वृक्ष सरकार लगाकर देगी और उनके संरक्षण का दायित्व गृह स्वामी का होगा।

नवीन भवनों के निर्माण के समय पेड़ लगाने की नीति को कठोरता से लागू किया जाना आवश्यक है। इन पेड़ों के संरक्षण का उत्तरदायित्व समझना भी आवश्यक है। कुछ शहरों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अपना घर बनाते समय वृक्ष सरकार लगाकर देगी और उनके संरक्षण का दायित्व गृह स्वामी का होगा। ऐसा नियम सभी स्थानों पर कम से कम नए घरों के निर्माण पर कठोरतापूर्वक लागू किया जाए तो निश्चय ही धरती हरी–भरी हो सकेगी।

ऐसा नियम सभी स्थानों पर कम से कम नए घरों के निर्माण पर कठोरतापूर्वक लागू किया जाए तो निश्चय ही धरती हरी-भरी हो सकेगी।

बहुमंजिला भवनों के निर्माण के कारण विकास की अंधी दौड़ में धरती को वृक्ष विहीन बनाने से पूर्व ये अनिवार्य नियम बनाया जाए कि जितने वृक्ष कटंगें उतने वृक्ष लगाना और उनकी देख-रेख का उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का हो।

एक निवेदन और यदि बच्चे के जन्मदिवस आदि पर या विशिष्ट अवसरों पर बच्चों में वृक्ष लगाने की भावना को जागृत किया जाए साथ ही किसी एक वृक्ष का उत्तरदायित्व यदि एक परिवार ले सके तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी प्रकार किसी की मृत्यु के पश्चात भी उसकी स्मृति में पेड़ लगाने का निश्चय हम लें और उसकी देख-भाल परिवार के सदस्य के रूप में करें। उपहार आदि देने में भी परिस्थिति के अनुसार पेड़ पौधे उपहार में दे और इस अभियान से जुड़े रहें, उसका परिणाम सामने अवश्य आएगा। स्कूलों आदि में यद्यपि पर्यावरण को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का कार्य किया गया है। परन्तु स्कूल में अध्यापक तथा विद्यार्थी सभी उसको मात्र औपचारिकता समझते हैं। इसी प्रकार खानापूर्ति के लिए कभी-कभी माननीयों द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाता है, परन्तु शायद कुछ दिन बाद ही पौधा कूड़े में ढूँढने से भी नहीं मिलता। इसी प्रकार ''राष्ट्रीय सेवा योजना'' आदि के शिविरों में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम को कभी-कभी सम्मिलित किया जाता है, परन्तु लगाने के बाद उसकी देखभाल का उत्तरदायित्व किसी का नहीं होता, अतः पौधे लगाने के कार्यक्रम में व्यय हुआ धन व्यर्थ हो जाता है।

बच्चों के जन्म दिवस पर पौधा रोपण करें।

नीति निर्धारण में हम पीछे नहीं बस आवश्यकता है, उन नीतियों के क्रियान्वयन की।

जल ही जीवन है इसे स्वच्छ रखना अति आवश्यक है, अतः गंगा सहित अन्य नदियों की सफाई कर नदियों में पूजा सामग्री का कचरा, पॉलिथिन, प्रतिमायें डालने और विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध अनिवार्य कर, आम लोगों और जानवरों के कई गंभीर रोगों और उससे होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार जल प्रदूषण को दूर करना जरूरी है।

निदान-नदियों में कूड़ा कचरा प्रवाहित ना करें। नदियों के किनारों एवं घाटों पर कूड़ा कचरे के ढेर तथा अन्य सामग्रीयों के जमा होने से गंदे व प्रदूषित होते घाटों और नदियों का जल आदि बीमारियों के पनपने का कारण हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

कार्यनीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यापार, शिक्षा और स्वैच्छिक क्षेत्र के भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करना। इसमें सभी सामाजिक और राजनैतिक संगठनों को कार्य करना आवश्यक होगा।

निदान-प्रदूषित हो रहे जल और पर्यावरण के लिए बड़े और छोटे उद्योगों के उद्योगपतियों, व्यापारियों के लिए कड़े नियमों को बनाकर कठिन दंड का प्रावधान होना चाहिए। एक निश्चित स्थान पर कूड़ा व अपशिष्ट पदार्थों को जमा कर उसे जलाकर समाप्त किया जाए।

आज 21वीं सदी में हमारा देश विश्व के गिने चुने देशों में लगातार आर्थिक सामाजिक, शिक्षा और वैज्ञानिक क्षेत्रों में एक शक्तिशाली एवं पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और पहचान बनाने में अग्रसर है। आज विदेशों से हर वर्ष पर्यटक तथा विद्यार्थी हमारे देश में आकर हमारी संस्कृति और सभ्यता को जानना चाहते हैं और इससे वे हमारे देश के प्रति आकर्षित होकर हमें आदर की दृष्टि से देख रहे हैं। अतः आर्थिक व सामाजिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए हमें विदेशों से व्यापार, शिक्षा और उद्योग आदि में सहयोग और बढ़ावे को महत्व देना होगा। उसके लिए हमें वहां से आने वाले लोगों के लिए एक रहने लायक आवश्यक स्वच्छ वातावरण और शिक्षा, चिकित्सा आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि सरकार पहले इसके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करें तथा उन सभी जरूरतों को प्राथमिकता के साथ अंतिम रूप देकर एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण करे। इससे हमारे देश में नई नौकरियां पैदा होंगी जो बेरोजगारी की समस्या कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मामले में अहम भूमिका अदा करेगी।

आज की पहली आवश्यकता है, कि हम महात्मा गांधी जी के सपनों का पूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए ''स्वच्छ भारत अभियान'' को एकजुटता, कर्तव्यनिष्ठा और विश्वास के साथ सही शक्ति और दिशा प्रदान करें। देश के प्रति संकल्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें एवं शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों को अपने में समाहित कर एक सभ्य समाज का निर्माण करें। आइए इस सकारात्मक सोच के साथ अपने कामों की व्यस्तता के बीच स्वयं से शुरू करके तथा 100 अन्य लोगों को जागरूक करते हुए गंदगी ना करने का प्रण करें तथा अपने कार्यालय, घर, आस-पास और सोसायटी, समाज, कार्यालयों, अस्पतालों, सार्वजनिक जगहों जैसे बाजरों, रास्तों, शादी या धार्मिक कार्यक्रमों, पवित्र स्थानों के स्थलों आदि में हफ्ते में दो घंटे श्रमदान करके इस कार्य के निष्पादन में उचित योगदान देकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें। तब निसंदेह हमारे देश का भी भविष्य सुंदर, स्वच्छ, स्वस्थ और उज्जवल होगा।

भारतीय डाक विभाग द्वारा समय-समय पर, पर्यावरण प्रदूषण संबंधित, डाक टिकट प्रदर्शनी लगाकर, डाक टिकटों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयत्न किया जाता रहा है।

भारतीय डाक विभाग डाक टिकटों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयत्न करता है।

इसी प्रकार बहुत तीव्र आवाज में संगीत आदि नहीं बजायेंगे ऐसा निश्चय हम सभी को लेना हमारे लिए ही फलदाई होगा। अतः आइए हम सभी शपथ लें पर्यावरण के संरक्षण की। शपथ कागजी नहीं वास्तविक रूप में। अपने स्तर पर पॉलिथिन के प्रयोग को बंद करने व करवाने की। वृक्षों की देखभाल की तथा ध्वनि प्रदूषण न करने की। यदि यह निश्चय कर हम उसका पालन कर सकें तो स्वंय को तथा आगे आनेवाली पीढ़ियों को जीवन प्रदान करने में सक्षम होंगे।

संपर्क करें:
अनिल कुमार सक्सेना
श्री राधा सदन, 273 ए.पी. कॉलोनी,
गया, बिहार-823001
मो.न.: 9431272010,
ईमेल: saxenaak273@yahoo.co.in